



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

अधिप्रमाणित

किरेन रिज्जीजू  
गृह राज्य मंत्री  
भारत सरकार  
गार्ड ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 45] नई दिल्ली, नवम्बर 4—नवम्बर 10, 2018, शनिवार/कार्तिक 13—कार्तिक 19, 1940  
No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 4—NOVEMBER 10, 2018, SATURDAY/KARTIKA 13—KARTIKA 19, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. 364.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) एवं उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे तकनीशियन), सहायक उप निरीक्षक (नर्सिंग सहायक/चिकि.), हेड कॉन्स्टेबल (फिजियोथेरेपी सहायक/नर्सिंग सहायक/चिकि.), हेड कॉन्स्टेबल (ए.एन.एम/मिडवाइफ) एवं हेड कॉन्स्टेबल (डायलेसिस तकनीशियन) के पदों की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "ग" योधाक (पैरा-चिकित्सीय पदों) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरहता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सा योग्यता.— अनुसूची में सम्मिलित किसी श्रेणी या रैंक या पद में एक पद से दूसरे पद में योद्धक स्टाफ की प्रोन्नति के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी - 1 होना चाहिए।

6. सेवा का दायित्व.— इन नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त पदों पर भर्ती किए गए कार्मिक भारत या भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने के लिये दायी होंगे।

7. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गमित आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) सहायक उप निरीक्षक (एक्स-रे तकनीशियन)	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण, केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसूचिवीय (योद्धक)	स्तर - 05 (रु. 29200 - 92300)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसे हेड कांस्टेबल (एक्स-रे-सहायक) जिसने वेतन मैट्रिक्स 25500-81100 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।
टिप्पण : जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों को भी अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उन्हें विचारार्थ लिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम है, उससे उनकी अर्हक या पात्रता सेवा कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो ।
प्रतिनियुक्त : केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी जो अपने मूल केंद्र या विभाग में अनुरूप पदों का ग्रहण करते हों एवं निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं :-
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समतुल्य विज्ञान विषयों ( जैसे की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ) के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो ;
(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो डाइग्नोसिस तकनीकी या एक्स-रे इमेजिंग तकनीकी या समतुल्य में दो वर्षीय अवधि का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ;
टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्त की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो सीधे प्रोन्नति की पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी तरह जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार हेतु ) में शामिल होंगे ।	लागू नहीं होता
(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष	
(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी(अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य	
(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(2) सहायक उप निरीक्षक ( नासंग सहायक / चिकित्सा )	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अनुसूचित्वीय ( योद्धक)	स्तर - 05 (रु. 29200- 92300)	अचयन

(6)
लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
<p><b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स 25500- 81100 /- के स्तर - 4 में हैड कांस्टेबल (नर्सिंग सहायक) या अयोधक वरिष्ठ नर्सिंग सहायक जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों को भी अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उन्हें विचारार्थ लिया जाएगा बशर्ते कि ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम है, उससे उनकी अर्हक या पात्रता सेवा कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो ।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायत्त निकायों के वे अधिकारी जो अपने मूल कैंडर या विभाग में अनुरूप पदों का ग्रहण करते हों एवं निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(ii) सेंट जॉन्स एम्बुलेंस संगठन या रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ सरकारी अस्पताल या संस्थान में 15 वर्ष का नर्सिंग देखभाल एवं मरहम पट्टी करने का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किए किसी अन्य कैंडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो सीधे प्रोन्नति की पंक्ति में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी तरह जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

12	13
<p>समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए विचार हेतु ) में शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी( चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) हैड कांस्टेबल ( फिजियोथेरपी सहायक /नर्सिंग सहायक /चिकि. )	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह " ग " अनुसचिवीय (योधक)	स्तर - 04 (रु. 25500- 81100 /-)	लागू नहीं होता

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच । ( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है )

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>शैक्षणिक अर्हता :</b></p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ।</p> <p>(3) शारीरिक और चिकित्सा मानदंड :</p> <p>(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर , महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीना : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाने पर - न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव</p> <p>महिलाओं के लिये लागू नहीं ।</p> <p>(ग) भार : पुरुष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में )</p> <p>(घ) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमत्य होगी:-</p> <p>ऊँचाई:- गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोंगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी ।</p> <p>सीना : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोंगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय , असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर ( 05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर ( 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा ।</p> <p><b>चिकित्सा मानदंड :-</b></p> <p>(ड.) आंखों की दृष्टि : बिना किसी सुधार यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।</p> <p>(च) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर,</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	शीपी मर्ती द्वारा

<p>वेरीकोस शिराएं या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । इशाहर के परीक्षण के साथ-साथ एडिच- ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाएगी। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो, से मुक्त हों ।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।</p>			
--	--	--	--

(11)

लागू नहीं होता

12	13
<p>समूह " ग " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार के लिए) इसमें शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4) हैड कांस्टेबल ( ए.एन.एम/मिडवाईफ )	03* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अनुसचिवीय (सोधक)	स्तर - 04 (रु. 25500- 81100/)	लागू नहीं होता

(6)

18 से 25 वर्ष के बीच । ( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है )

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>शैक्षणिक अर्हता :</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(2) नर्सिंग समिति भारत सरकार या राज्य नर्सिंग समिति से मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार या केंद्रीय नर्सिंग समिति के साथ पंजीकृत संस्थान से ऑक्सलरी नर्स प्रसुतिविद्या में दो वर्षीय डिप्लोमा</p> <p>(3) शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड :</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

<p>(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर ; महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीना : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाने पर - न्यूनतम 6 सेमी. का फुलाव</p> <p>महिलाओं के लिये लागू नहीं।</p> <p>(ग) वजन : पुरुष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में)</p> <p>(घ) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमत्य होगी:-</p> <p>ऊँचाई:- गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी। अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी।</p> <p>सीना : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर ( 05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा। अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर ( 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा।</p> <p>चिकित्सा मानदंड :-</p> <p>(ड.) आंखों की दृष्टि : बिना किसी सुधार यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।</p> <p>(च) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में भौंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। इशाहर के परीक्षण के साथ-साथ एड्रिच- ग्रीन लैंटन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जाच की जाए। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो, से मुक्त हों।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।</p>			
--	--	--	--

12	13
<p>समूह "ग" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार के लिए) इसमें शामिल होंगे।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) हैड कांस्टेबल (डायलिसिस तकनीशियन)	08* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसूचितवर्ग (योग्य)	स्तर - 04 रु. 25500- 81100 /)	लागू नहीं होता

(6)
<p>18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>शैक्षणिक अर्हता :</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(2) मान्यता प्राप्त संस्थान से डायलिसिस तकनीकी में 2 वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य।</p> <p>(3) शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड :</p> <p>(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए : 157 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीना : पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाने पर - न्यूनतम 5 सेमी. का फुलाव</p> <p>महिलाओं के लिए लागू नहीं।</p> <p>(ग) भार : पुरुष और महिलाओं के लिए (चिकित्सा मानकों के अनुसार लंबाई और आयु के अनुपात में)</p> <p>(घ) अभ्यर्थियों को ऊँचाई और सीने में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुमत्य होगी:-</p> <p>ऊँचाई:- गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा



<p>लंबाई पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी ।</p> <p>सीना : गढ़वाली, कुमायुनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर ( 05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा । अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर ( 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव) होगा ।</p> <p>चिकित्सा मानदंड :-</p> <p>(ड.) आंखों की दृष्टि : बिना किसी सुधार यानी चश्मा पहने बिना दोनों आंखों की न्यूनतम दूरवर्ती दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए ।</p> <p>(च) अभ्यर्थियों के घुटने मिले हुए, समतल पैर, वेरीकोस शिराएं या आंखों में बैंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए । इशाहर के परीक्षण के साथ-साथ एड्रिच- ग्रीन लैंट्रन परीक्षण द्वारा भी अभ्यर्थियों के रंग दृष्टि की जांच की जाए। उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक दोष, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा डालने वाली हो, से मुक्त हों ।</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान से इस क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।</p>			
--	--	--	--

(11)

लागू नहीं होता ।

12	13
<p>समूह " ग " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण हेतु विचार के लिए) इसमें शामिल होंगे ।</p> <p>(1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ( चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य</p>	लागू नहीं होता ।

[ फा. सं. आर. दो 1/2018 चिकित्सा-1 केंद्रिपुबल /गृह मंत्रालय (कार्मिक-11)]

आर. बी. एस. नेंगी, उप सचिव (कार्मिक-11)